

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4205
19 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

पुनः परिचालनीय जलीय कृषि प्रणाली

4205. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु-स्तरीय मत्स्यपालकों के बीच पुनःपरिचालनीय जलीय कृषि प्रणाली (आरएएस) प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या रणनीति अपनाई गई है और मत्स्यपालकों को आरएएस अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु किस प्रकार के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं;

(ख) सरकार आरएएस प्रणालियों की जैव-सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करती है और रोग प्रकोप तथा कृषि प्रजातियों के पलायन को रोकने के लिए कौन-से नयाचार मौजूद हैं;

(ग) स्थायी जलीय कृषि पद्धतियों के लिए आरएएस प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की योजना क्या है और इसे अपनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहन दिया जाएगा; और

(घ) सरकार किस प्रकार आरएएस-उत्पादित मछलियों की ट्रैकिंग और प्रमाणन सुनिश्चित करेगी, तथा पर्यावरणीय स्थिरता के लिए कौन-से मानक स्थापित किए जा रहे हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) से (घ): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता, गुणवत्ता एवं स्वच्छता में वृद्धि, आधुनिकीकरण और सप्लाई एवं वैल्यू चैन को सुदृढ़ बनाने के लिए वैल्यू चैन में प्रौद्योगिकी का समावेश करना है। इस योजना के अंतर्गत, रीसर्क्युलेटरी एकाकल्चर सिस्टम (RAS) की स्थापना हेतु लघु मत्स्य किसानों सहित सामान्य वर्ग के लिए इकाई लागत का 40 प्रतिशत और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला लाभार्थियों के लिए इकाई लागत का 60 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये उच्च-घनत्व वाली जल कृषि प्रौद्योगिकियाँ न्यूनतम जल और भूमि संसाधनों के उपयोग को इष्टटम करने में मदद करती हैं। RAS प्रणालियों में जैव सुरक्षा, क्लोज़-लूप वॉटर रिसर्क्युलेशन, नियंत्रित जल गुणवत्ता द्वारा सुनिश्चित किया जाता है और रोगाणुओं के प्रवेश और प्रसार को रोकने के लिए नियमित कीटाणुशोधन किया जाता है। उच्च-स्वास्थ्यवर्धक सीड़ और जैव-सुरक्षित आहार का उपयोग, रोग के जोखिम को कम करता है, और प्रणाली के अंदर सम्पूर्ण जल को नियंत्रित रखा जाता है और पुनः उपयोग या निपटान से पहले जल का उपचार करके यह सुनिश्चित किया जाता है कि लाइव फिश या उनके अंडे प्राकृतिक जल निकायों में बह न जाएँ। PMMSY, गुणवत्ता आधासन और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए, RAS और बायोपलोक जैसी जल कृषि प्रणालियों सहित, फिशरीस वैल्यू चैन में ट्रेसेबिलिटी और प्रमाणन पहलुओं को भी सहायत प्रदान करती है। मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने विगत पाँच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान PMMSY के अंतर्गत 298.72 करोड़ रुपए की केंद्रीय शेयर के साथ 939.57 करोड़ रुपए की लागत से कुल 12,195 री-सर्क्युलेटरी एकाकल्चर सिस्टम के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है।